डीजी-परिपत्र संख्या- 12 /2020

एच0सी0अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन,गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ-226002

दिनांक : लखनऊःमार्च 21 ,2020

विषयः प्रदेश के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में नवसृजित साइबर थानों तथा जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में पूर्व से स्थापित साइबर थानों की स्थापना/क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग-6 की अधिसूचना सं0: 25/2020/32 पी/6-पु-6-2020- 300(13)/2014 दिनांक 06.02.2020(छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन अपराधों के पंजीकरण एवं अन्वेषण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन प्रदेश में 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों क्रमशः मिर्जापुर, देवीपाटन, गोण्डा, आजमगढ, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट धाम, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, बरेली, बस्ती, एवं गोरखपुर में साइबर क्राइम पुलिस थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश में पूर्व से लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में साइबर क्राइम पुलिस थाना स्थापित है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 18 परिक्षेत्रों में एक-एक साइबर अपराध थाना स्थापित करते हुए उनका अधिकार क्षेत्र भी उपरोक्त अंकित अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। साथ ही लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना से सम्बन्धित निर्गत अधिसूचना संख्या-1931पी/छः-पु0-06-16-300(13)/14 दिनांक-31.03.2016 को अतिक्रमित कर दिया गया है।

2- वर्तमान समय में साइबर अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम के अन्तर्गत कारित होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में पंजीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदीय थानों में हो रही हैं। उ0प्र0 शासन द्वारा स्थापित किये गये साइबर क्राइम पुलिस थाना लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर तथा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयो के नवसृजित साइबर क्राइम पुलिस थानों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण एवं जन-सामान्य में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक हो गया है। परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थानो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है थानों में साइबर अपराधों की विशेष जानकारी रखने वाले पुलिसकर्मी/अधिकारी नियुक्त हो, जिससे साइबर अपराधों की विवेचना अत्यन्त गहराई एवं तेजी से की जा सके ताकि बढ़ते साइबर अपराधों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

3- समस्त 18 परिक्षेत्रीय साइबर अपराध थानों की स्थापना एवं उन्हें operationalise (प्रचलित) किये जाने हेतु निम्नानुसार एस0ओ0पी0(Standard Operating Procedure) निर्धारित की जाती है:-

__साइबर क्राइम पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 का पंजीकरण एवं अन्वेषण किये जाने की प्रक्रिया-__

- आई0टी0 एक्ट के उन अपराधों की विवेचना जिनमें धोखाधड़ी की धनराशि एक लाख रूपया या उससे अधिक हो।
- आई0टी0 एक्ट के उन अपराधों की विवेचना जो जटिल प्रकार की हों और जिनमें जनपद स्तर से विवेचना सम्भव न हो।
- आई0टी0 एक्ट के उन अपराधों की विवेचना जिनमें अन्तर्जनपदीय और अन्तरराज्यीय समन्वय की आवश्यकता हो एवं जटिल प्रकार की हों एवं धोखाधड़ी की धनराशि एक लाख रूपया या उससे अधिक हो।
- अन्य समस्त साइबर अपराध/आई0टी0 एक्ट के अभियोगों की विवेचना जनपदीय पुलिस थाने/जनपदीय साइबर सेल/जोनल साइबर सेल द्वारा पूर्व की भाँति पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-48/2019 दिनांक-06.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार की जायेंगी।
- परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी पुलिस थानों में पंजीकृत साइबर अपराधों एवं साइबर अपराधियों का सम्पूर्ण डाटा पुलिस उपाधीक्षक परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना द्वारा अध्यावधिक रखा जायेगा तथा केन्द्र द्वारा स्थापित I4C(Indian Cyber Crime Coordination Centre) जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के आधीन है एवं R4C(Regional Cyber Crime Coordination Centre) जो साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ में स्थापित होगा, से समन्वय स्थापित करेंगे।
- साइबर क्राइम से सम्बंधित माल को एफएसएल भिजवाकर परीक्षण रिपोर्ट यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु , पुलिस उपाधीक्षक परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना द्वारा एफएसएल से समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- Child Pornography (बच्चों के अश्लील वीडियो/बाल यौन उत्पीड़न व अन्य सामग्री), हैकिंग, क्रिप्टो-कैरेन्सी, ऑनलाइन साइबर ट्रेफिकिंग व सोशल मीडिया सम्बन्धी अपराध आदि से सम्बंधित समस्त अभियोग इन थानों में पंजीकृत किये जायेंगे।
- Cyber Stalking जैसे फेसबुक/ट्वीटर आदि पर पीछा/रेकी करना जैसे अपराध यदि एस0आर0 केस की श्रेणी में तरमीम हो तो ऐसे अभियोगों की विवेचना इन थानों में की जायेगी।
- किसी भी सरकारी वेबसाइट की नकल करना एवं उसे कोई क्षति पहुंचाना या उससे गैर-कानूनी ढ़ंग से राजस्व की हानि पहुंचाना जैसे अपराधों के अभियोग इन थानों में पंजीकृत कर विवेचना की जायेगी।
- आन्तरिक सुरक्षा एवं जन-सुरक्षा व्यवस्था की क्षति पहुंचाने वाले साइबर अपराधों के अभियोग इन थानों में पंजीकृत किये जायेंगे।
- जनपदीय पुलिस थानों में पंजीकृत ऐसे अपराध जिनको जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर द्वारा संस्तुति करते हुए __पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम__ के माध्यम से इन परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों में भेजा जा सकता है।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किसी भी प्रकार के अपराध।

पर्यवेक्षण कार्य

- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ एवं अपर पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, मुख्यालय लखनऊ द्वारा 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों में पंजीकृत अपराधों का पर्यवेक्षण पुलिस रेगुलेशन एवं समय-समय पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

- परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सीधे तौर पर उनके अधीनस्थ परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों में पंजीकृत अभियोगों का पर्यवेक्षण पुलिस रेगुलेशन व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्रों के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा एवं समय-समय पर पर्यवेक्षण/निरीक्षण आख्या साइबर क्राइम मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे तथा पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे।

साइबर क्राइम पुलिस थानों के अन्य कर्तव्य

- परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदीय थानों को उनके द्वारा मांगे गये तकनीकी एवं विधिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- समय-समय पर जो भी आधुनिक तकनीक विकसित होगी, साइबर क्राइम थानों पर नियुक्त कर्मचारीगण उक्त तकनीक से भली-भांति अवगत होकर अपने परिक्षेत्र में आने वाले थानों के पुलिस कर्मियों को भी उक्त तकनीक से प्रशिक्षित करेंगे।

- साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाएंगे तथा इसके लिए परिक्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, एन0जी0ओ0, स्कूल/कालेज व अन्य संगठनों से समन्वय स्थापित करेंगे।

4- मुझे विश्वास है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधों के अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिलेगी।
संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर,
~~समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक,~~
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0।
5. पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उ0प्र0।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या- 25 /2020/ 32 पी /6-पु-6-2020-300(13)/2014
लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1931पी/छः-पु-6-2016-300(13)/2014 दिनांक 31 मार्च 2016 का अधिक्रमण करके राज्यपाल एतद्वारा यह निदेश देती हैं और यह घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन अपराधों के रजिस्ट्रीकरण और अन्वेषण के संबंध में महानिरीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश पुलिस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन उक्त अधिनियम सन् 1974 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए "साइबर क्राइम पुलिस थाना" होंगे।

अनुसूची

क्र0सं0	पुलिस थाना का नाम	पुलिस थाना की अपनी-अपनी अधिकारिता के आने वाले क्षेत्र
	(1)	(2)
1.	साइबर क्राइम पुलिस थाना मिर्जापुर	मिर्जापुर परिक्षेत्र के समस्त जिले
2.	साइबर क्राइम पुलिस थाना गोण्डा	देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा के समस्त जिले
3.	साइबर क्राइम पुलिस थाना आजमगढ	आजमगढ परिक्षेत्र के समस्त जिले
4.	साइबर क्राइम पुलिस थाना सहारनपुर	सहारनपुर परिक्षेत्र के समस्त जिले
5.	साइबर क्राइम पुलिस थाना अलीगढ	अलीगढ परिक्षेत्र के समस्त जिले
6.	साइबर क्राइम पुलिस थाना कानपुर	कानपुर परिक्षेत्र के समस्त जिले
7.	साइबर क्राइम पुलिस थाना बांदा	चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के समस्त जिले
8.	साइबर क्राइम पुलिस थाना आगरा	आगरा परिक्षेत्र के समस्त जिले
9.	साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद	मुरादाबाद परिक्षेत्र के समस्त जिले
10.	साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी	वाराणसी परिक्षेत्र के समस्त जिले
11.	साइबर क्राइम पुलिस थाना झांसी	झांसी परिक्षेत्र के समस्त जिले
12.	साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रयागराज	प्रयागराज परिक्षेत्र के समस्त जिले
13.	साइबर क्राइम पुलिस थाना अयोध्या	अयोध्या परिक्षेत्र के समस्त जिले
14.	साइबर क्राइम पुलिस थाना बरेली	बरेली परिक्षेत्र के समस्त जिले
15.	साइबर क्राइम पुलिस थाना बस्ती	बस्ती परिक्षेत्र के समस्त जिले
16.	साइबर क्राइम पुलिस थाना गोरखपुर	गोरखपुर परिक्षेत्र के समस्त जिले

17.	साइबर क्राइम पुलिस थाना लखनऊ	पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर के अधीन आने वाले क्षेत्र एवं लखनऊ परिक्षेत्र के समस्त जिले
18.	साइबर क्राइम पुलिस थाना गौतमबुद्ध नगर	पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर के अधीन आने वाले क्षेत्र एवं मेरठ परिक्षेत्र के समस्त जिले

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।